संख्या–1330/1–10–2013–12(21)/2012

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देवरिया।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 21 मार्च, 2013

विषयः–वर्ष 2012–13 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की राज्य आपदा मोचक निधि के अन्तर्गत तात्कालिक मरम्मत हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–491/आपदा–13/2012–13 दिनांक 05.03.13 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2012–13 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुर्नस्थापना, बाढ़ अवधि में कराये गये कार्यो के परिपेक्ष्य में राज्य आपदा मोचक निधि से मांगी गयी धनराशि रू0 1,42,99,000/– के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि के रूप में वित्तीय वर्ष 2012–13 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **रू0 71,49,500/– (रूपये इकहत्तर लाख उन्चास हजार पॉच सौ मात्र)** आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड–800–अन्य व्यय–03–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/ शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। प्रकरण में कराये गये कार्यों की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी का सत्यापन करते हुये, पूर्ण गुणवत्ता की रिपोर्ट के साथ स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को अगली किस्त/वास्तविक अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0–78/पी0एस0आर0/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या–32–7/2011–NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं0 2785/1–10–2011 –12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा।

5. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और

मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11, दिनॉक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें अविलम्ब/31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

7. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

8. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या :1330(1)/1–10–2013–12(21)/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार–प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
2– आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन/प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देवरिया।
7– वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5।
8– समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9– निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार शर्मा)
अनु सचिव।